

मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

बनाम

सेल्स टेक्स ऑफिसर, राउरकेला-। सर्किल एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 4290/2008)

10 जुलाई, 2008

(. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, जे.जे.)

अपील: वैद्यनिक अपील- अनौपचारिक ढंग से निस्तारण- निर्धारित: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों का निपटारा नहीं किया गया- आदेश पढ़ने से लगता है कि विवेक का अनुप्रयोग- मामला प्रथम अपील प्राधिकारी को नये सिरे से विचार हेतु प्रेषित- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956

निर्णय/आदेश: तर्कयुक्त आदेश- सही- निर्धारित: किए गए आदेश में कारणों को स्पष्ट करना प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक हैं- कारण जानने का अधिकार सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा है।

अपीलार्थी- निर्धारिती विभिन्न उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री में लगा हुआ था। इसके अलावा, अपीलार्थी कम्पनी ने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित अपनी शाखाओं में माल के भण्डार का हस्तांतरण किया। मूल्यांकन वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत मूल्यांकन हेतु नोटिस जारी किया गया और 19.25 करोड रुपये की मांग उठाई गई। अपीलार्थी ने मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर की। अपील लम्बित रहने के दौरान एक स्थगन प्रार्थना पत्र दायर किया गया। सहायक आयुक्त (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी) ने राशि के हिस्से के भुगतान

का निर्देश दिया। पुनरीक्षण पर कमिश्नर ने 10 करोड रूपये भुगतान का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 2 करोड रूपये जमा कराने का निर्देश दिया। उक्त आदेश 2006 के एसे.एल.पी. नम्बर 5314 में प्रश्नगत था। इस न्यायालय ने 31.3.2006 को स्थगन का अंतरिम आदेश पारित किया। 19.4.2006 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर मूल्यांकन के आदेश की पुष्टि की। अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र पर 15 करोड रूपये जमा कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना ही उक्त याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन यह देखते हुए कि यह मामला इस न्यायालय की जांच के अधीन है। इसलिए वर्तमान अपील है।

आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर न्यायालय द्वारा मामला सहायक आयुक्त को प्रेषित

अभिनिर्धारित:

1.1 सामान्य तौर पर जब वैद्यनिक अनुतोष का लाभ उठाया गया हो तो मूल्यांकन के गुण-दोष के बारे में तर्क माने जाने योग्य नहीं है। किन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने जिस अनौपचारिक तरीके से अपील का निपटारा किया है, चौंकाने वाला है। आदेश को मात्र सरसरा पढ़ने से ही विवेक का पूर्ण अनुप्रयोग दर्शित है। इस प्रकार से एक वैद्यनिक अपील का निपटारा नहीं किया जाना चाहिए। कई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाए गए थे दुर्भाग्यवश, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उनका भी निपटारा नहीं किया गया। (पारस 8,9) (661-एफ, 662-एफ)

अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2004) 3 एसे.सी.सी. 1; अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997)9 एसे.सी.सी 10-संदर्भित है।

1.2 कारण प्रत्येक निष्कर्ष की जान है। यह आदेश में स्पष्टता का परिचालक है और इसके बिना यह जीवन विहिन हो जाता है।

राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य (2003) 11 एसे.सी.सी. 519- पर निर्भर

एम.और.इन ब्रीन बनाम अमालगमेटेड इंजी. यूनियन (1971) 1 ऑल ई और 1148; अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974) औई सी और 120 (एन औई और सी) -संदर्भित

1.3 तर्क का अधिकार सुदृढ न्यायिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा है; न्यायालय के समक्ष मामले में कम से कम विवेक का अनुप्रयोग दर्शित करने के लिए पर्याप्त कारण। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। किए गए आदेश में कारणों को स्पष्ट करना प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक है; अन्य शब्दों में 'स्पष्ट बोलता हुआ'। न्यायिक व अर्द्ध-न्यायिक निष्पादन में साधारणतया 'स्फिंक्स का गूढ चेहरा' असंगत होता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 4290/2008

कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. (सी) नम्बर 11192/2006 में अंतिम आदेश दिनांक 7.9.2006 से।

जी.ई. वाहानवती, एसे.जी. पराग, पी. त्रिपाठी, ए.एसे.जी. अल्ताफ द्वितीय नायक, ए.जी.शैल कुमार द्विवेदी, ए.ए.जी, रंजीत कुमार, राकेश द्विवेदी, एसे.बोरठाकुर, सुनील कुमार जैन, कीर्ति रेनु मिश्रा, गोपाल सिंह, अनुकूल राज, श्वेता सिंह, हेमंतिका वाही, पिकी, जेसल, और सतीश, भारत स्वरूप शर्मा, विजय कुमार पंडित, दयान कृष्णन, नीलम शर्मा, टी.सी.शर्मा, नीरा गुप्ता, अशा जी. नायर, विस्मई राव, डी.एसे.

मेहरा, वी.जी.प्रगासम, ऐसे.जे. अरस्तू, प्रबु रामा सुब्रमण्यम, विक्रान्त सिंह बाइस, बी.ऐसे. बाथिया, ख्वेराकपम नोबिन सिंह, डेविड राव, तरुण जामवाल, ऐसे. बिस्वजीत मेइतेई, विजय प्रकाश, संजय और.हेगडे, अमित कुमार चावला, अरुण वर्मा, विक्रान्त यादव, जतिंदर कुमार भाटिया, मनजीतसिंह, हरिकेश सिंह, टी.वी.जोर्ज, अजयपाल, अविजीत राय, रंजन मजूमदार (मैसर्स कॉर्पोरेट विधि समूह के लिए), वंदना मिश्रा, सहदेव सिंह, विभा द्विवेदी, जी.वी. राव, ए. सुभाषिनी, तबराज, अश्विनी गर्ग, अनीस सुहरावर्दी एवं और नेदुरमन उपस्थित पक्षकारों की और से

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में उडीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा मेरिटस पर निर्णय के बिना एक रिट का निपटारा करने के आदेश को चुनौती दी गई, क्योंकि प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष 2001-02 के संबंध में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनांक 31.3.2006 को पारित किया गया था।

3. तथ्यात्मक पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक होगा।

अपीलार्थी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो लोहा, इस्पात व रासायनिक फर्टिलाइजर के अपने तैयार व द्वि-उत्पाद के अधिशेष व अस्वीकृत वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य व निर्यात के रूप में निर्माण एवं विक्रय करता है। इसके अलावा अपीलार्थी कम्पनी देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित अपनी शाखाओं में माल का भंडार एवं हस्तांतरण भी करता है।

मूल्यांकन वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर (उडीसा), नियम, 1957 (संक्षेप में 'केन्द्रीय नियम') के नियम 12(5) के तहत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,

1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत मूल्यांकन हेतु नोटिस जारी किए गए। पेश की गई लेखा पुस्तकों की परीक्षा के पश्चात 19,25,41,763.00 रुपये की अतिरिक्त मांग उठायी गई। अपीलार्थी कम्पनी ने प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री व माल हस्तांतरण का खुलासा किया, जो इस प्रकार है:-

1. बिक्री अंतर्गत धारा 8(1)(a)(b) रू. 714,18,82,639.06
2. बिक्री अंतर्गत धारा 8(2)(b) रू. 10,37,23,857.45
3. निर्यात बिक्री रू. 10,95,977.00
4. शाखा/स्टॉक हस्तांतरण रू. 1130,24,48,338.61
5. कुल रू. 1854,91,50,812.12

निर्धारण अधिकारी ने पाया कि फार्म 'सी' में कुछ विनिर्दिष्ट घोषणा फार्म प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए अंतर कर लगाया जाना था। धारा 3 के खंड (ए) के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वार्षिक समझौता झापन (एम.ओ.यू.) के तहत की गई बिक्री जिन्हें बैंक हस्तांतरण माना गया था, वास्तव में अन्तरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री और कर के अधीन है। तदनुसार कर लगाया गया था।

किए गए मूल्यांकन की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए सहायक आयुक्त बिक्री कर, सुन्दरगढ रेंज, राउरकेला के समक्ष अपील की गई। अपील के लम्बित रहने के दौरान एक स्थगन प्रार्थना पत्र दायर किया गया। सहायक आयुक्त ने मांग का भाग अदा करने का निर्देश दिया। पुनरीक्षण हेतु एक आवेदन आयुक्त के समक्ष दायर किया गया, जिन्होंने पुनरीक्षण केस नम्बर ऐसे यू-87/05-06 दिनांक 28.12.2005 में 10 करोड़ रुपये भुगतान का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका यह

दर्शाते हुए दायर की गई कि अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2004(3) एसे.सी.सी. 1) इस न्यायालय के निर्णय में यह पूर्ण प्रयुक्त था।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 15.02.2006 के आदेश से 2 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। उक्त आदेश एसे.एल.पी. (सी) नम्बर 5314/2006 में प्रश्नगत किया गया था। उक्त विशेष अनुमति याचिका में कई राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को विरोधी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि यह बताया गया कि अपेक्षित कर विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में पहले से भुगतान किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2006 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"नोटिस जारी हो। इस बीच अंतरिम स्थगन रहेगा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहले से किया गया कोई भी भुगतान दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।"

इसके कुछ दिनों बाद 19.4.2006 को अतिरिक्त आयुक्त ने उसी को खारिज करते हुए दायर अपील का निपटारा किया और मूल्यांकन के आदेश की पुष्टि की। उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गई। एक स्थगन आवेदन भी दायर किया गया। दिनांक 14.8.2006 के आदेश से आयुक्त ने 15 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका का निस्तारण कर दिया, लेकिन यह देखते हुए कि मामला इस न्यायालय के जांचाधीन है।

4. हालांकि अपील के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर जोर दिया गया था, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जाँच

किए बिना ही गुप्त व तर्कहीन आदेश द्वारा सहायक आयुक्त ने दायर अपील को खारिज कर दिया है।

5. यह निवेदन किया गया है कि एक वैद्यनिक अपील का इस औपचारिक ढंग से निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। यह इंगित किया गया है कि इस तथ्य के साथ कि कई राज्यों में कर का भुगतान किया गया है, जहाँ शाखाओं को हस्तांतरित वस्तुओं को बेच दिया गया है, राज्य ने गलती से लेनदेन को अन्तर राज्यीय बिक्री मना है और लगाया गया कर मूल रूप से दोहरे कराधान के बराबर है। यह भी प्रस्तुत है कि यह और कुछ नहीं बल्कि अवैध रूप से कर एकत्र करने का प्रयास है। यह वैद्य नहीं है तथ भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') का स्पष्ट उल्लंघन है। यह भी बताया गया है कि अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997(9) ऐसे.सी.सी. 10) में इस न्यायालय के निर्णयानुपात को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम में एक संशोधन किया गया है और धारा 19 प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है:

"19. केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण

(1) केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण गठित करेगा, जो इस अधिनियम की धारा 6ए सपठित धारा 9 में आने वाले अन्तरराज्यीय विवादों का निपटारा करेगी, जिसे केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाएगा।

(2) प्राधिकरण में केन्द्र द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:-

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है।

(ख) भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी, जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव है या होने की योग्यता रखता है।

(ग) राज्य सरकार का अधिकारी जो सचिव के पद से नीचे नहीं है या केन्द्र सरकार का अधिकारी जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं है, जो बिक्री कर मामलों में विशेषज्ञ है।(2 ए) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद अध्यक्ष या सदस्य जो ऐसे प्राधिकरण में विशेष नियमों के तहत खण्ड (क) या खण्ड (ग) के तहत नियोजित हो या उप-धारा (2) के धारा 245 आयकर अधिनियम 1961 के तहत नियोजित हो, उस प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य होने के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के अध्यक्ष या सचिव नियुक्त किए जा सकेंगे

(3) अध्यक्ष व सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के नियम व शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएंगी।

(4) केन्द्र सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐसा प्राधिकार प्रदान करेगी, जो इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों के कुशल प्रयोग हेतु आवश्यक हो।

6. यह बताया गया है कि अंततः केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण संबंधित राज्य में न्यायाधिकरण के बाद मामले का फैसला कर सकता है। अपीलार्थी का तर्क है कि कानून के तहत प्रदान किए गए मंच को अपील का अनौपचारिक ढंग से निपटारा किया जाकर अप्रभावी बनाया जा रहा है।

7. प्रत्यर्थी-उड़ीसा राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती जब पहले ही वैद्यनिक उपचार का लाभ उठा चुका है, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।



8. सामान्य तौर पर, जब वैद्यनिक उपचार का लाभ उठाया गया हो तो मूल्यांकन के गुणदोष के बारे में तर्क माना नहीं गया होगा, लेकिन जो बात हमें झकझोरती है वह है, जिस तरह से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपील का निपटारा किया है। अपीलीय आदेश 'पेपर बुक' में 36 से 42 पेज तक है। प्रथम पृष्ठ व दूसरे पृष्ठ का एक भाग मूल्यांकन आदेश के विभिन्न आंकड़ों से संबंधित है, निर्धारिती अधिकारी, पंजीकरण संख्या, टर्नओवर एवं कर का विवरण। पैराग्राफ (2) में निर्धारिती अधिकारी की टिप्पणियां तथा पैराग्राफ (3) में पेज 39 से 41 तक अपीलार्थी के विभिन्न तर्कों का उल्लेख है। पैराग्राफ 4 में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निष्कर्ष उल्लेखित है। जो इस प्रकार है:-

"मैंने मूल्यांकन के विवादित आदेश, विद्वान अधिवक्ता के कथनों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यानपूर्वक देखा। अपीलार्थी के दावे से संबंधित विवाद के पहले बिन्दु पर बोलीदाताओं की ओर से एकत्रित रुपये 14,59,122.52 कर की वापसी के लिए अपीलार्थी कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि ऐसे बोलीदाताओं को कर की वापसी हो, जिनसे कर लिया जाता है। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी का दावा विश्वसनीय नहीं है।

दूसरा विवाद का बिन्दु फार्म में घोषणा प्रस्तुत ना करने के कारण 1,21,03375.18 रुपये के टर्न ओवर ब्रिक्री पर लगाए गए कर से संबंधित है। इसलिए विद्वान एसे.टी.ओ. के कर लगाने में धारा 8(2) (B) सीएसेटी अधिनियम के अवलोकन से इस मंच का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

अततः मूल्यांकन के आदेश से रूपये 241,87,42,357.93 मूल्य की वस्तुओं के शाखा हस्तांतरण के लिए अपीलार्थी के दावे की अस्वीकृति के बिन्दु पर यह पाया जाता है कि विद्वान एसे.टी.ओ द्वारा लिये गये भौतिक साक्ष्यों में से उचित सत्यापन व उचित जाँच पर अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता और उद्घत विभिन्न न्यायालय के निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता है।"

9. आदेश को मात्र सरसरा पढ़ने से ही विवेक का अनुप्रयोग दर्शित होता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने सही बताया है कि किसी वैदयानिक अपील के निस्तारण का यह तरीका नहीं है। कई महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु उठाये गए थे। दुर्भाग्यवश, वे भी प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निस्तारित नहीं किए गए।

10. कारण प्रत्येक निष्कर्ष की जान है। यह आदेश में स्पष्टता का परिचायक है और इसके बिना यह जीवनविहीन हो जाता है। (देखें राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003(11) एसे.सी.सी 519)

11. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी लार्ड डेनिंग एम.और. इन ब्रीन बनाम अमालगमेटेड (1971)1 ऑल ई और 1148 में व्यक्त किया:

"कारण बताना अच्छे प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक है। अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री 1974 औई सी और 120 (एनऔईऔरसी) में यह मत व्यक्त किया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इन्कार करने के बराबर है।" "कारण निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क और उस निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने के बीच जीवंत संबंध है।" कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुपरकता में विकल्पित

करता है। कारणों को लेखबद्ध करने पर जोर दिया जाना चाहिए जैसे कि यदि निर्णय 'अपने मौन द्वारा स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा' दिखाता है तो न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य को पूर्ण करना या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग, निर्णय की वैद्यता का आंकलन असंभव होगा। कारण जानने का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का अनिवार्य भाग है; पर्याप्त कारण जो न्यायालय के समस्त मामले में विवेक का अनुप्रयोग दर्शित करें। अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों लिया गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में 'स्पष्ट बोलता हुआ' न्यायिक व अर्द्ध न्यायिक निष्पादन में साधारणतया 'स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा' असंगत होता है।"

12. इसलिए 19.10.2006 को नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में, हम सहायक आयुक्त के विवादित आदेश को अपास्त करते हैं और अपील पर नए सिरे से विचार हेतु मामला उन्हें प्रेषित करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें अपीलकर्ता द्वारा उजागर किए गए चुनौती के सभी बिन्दुओं पर कारण सहित आदेश द्वारा अपील का निपटारा करना होगा।

13. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

14. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस तरह के विवाद बार-बार होते हैं, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर अपील का निस्तारण करेगा।

15. खर्च के बारे में आदेश के बिना उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मधु हिसारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।